उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-59/2017/2583जेएल/22-3-17-04जी/2017
लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, एडवोकेट, चैम्बर नं0-8-बी, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध बंदियों कृष्ण कुमार यादव उर्फ गब्बर पुत्र श्री राम अंजोर एवं पुष्पेंद्र व नरेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्रगण जोखन यादव को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरण के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-2966/2017-जगदम्बा प्रसाद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दायर की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 01-08-2017 को निम्नवत आदेश पारित किये गये :-

> "In view of the aforesaid facts and circumstances, it would be appropriate to issue direction to the respondent No.1, i.e., Principal Secretary, Home, State of U.P. to consider the petitioner's representation dated 17.01.2017 and take decision thereon expeditiously, preferably within a period of one month from the date of communication of this order.
> With the aforesaid observations/ direction, the writ petition stands disposed of.
> It is clarified that we have not dealt with the relief No.2, for which the petitioner is at liberty to adopt the recourse to remedy available to him in accordance with law."

2- मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश में संदर्भित याची श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, एडवोकेट के प्रत्यावेदन दिनांक 17-01-2017 में निम्न प्रार्थना की गयी है -

(1) To take necessary action against District Jail Superintendent Sultanpur and to direct for his transfer from District Jail Sultanpur to some other Jail.
(2) To direct transfer of the hardened criminal convict Krishan kumar Yadav @ Gabbar from District Jail Sultanpur to some other Jail.
(3) To provide compensation to the applicant to the tune of Rs. 2500000/- for compensating the harm, loss, pain and inconvenience caused to the applicant due to aforesaid unprecedented criminal incident occurred on 09-10-2016

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-08-2017 की प्रमाणित प्रति, श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, एडवोकेट के पत्र दिनांक 11-08-2017 के माध्यम से कारागार प्रशासन एवं सुधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुभाग-3 में दिनांक 16-08-2017 को प्राप्त हुई। तदुपरान्त श्री जगदम्बा प्रसाद यादव के प्रत्यावेदन दिनांक 17-01-2017 पर शासन के पत्र संख्या-55रिट/22-3-17-4जी/2017, दिनांक 22-08-2017 द्वारा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी।

4- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की आख्या उनके पत्र संख्या-32404/सामा-1(3)/बंदी रिट(13)2017, दिनांक 07-09-2017 द्वारा शासन में प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया है कि बंदी पुष्पेन्द्र कुमार व नरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री जोखन यादव एवं कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर पुत्र श्री रामअंजोर, मा0 न्यायालय, स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट, न्याय कक्ष संख्या-09, सुलतानपुर से दिनांक 03-10-2013 को 05 वर्ष की सजा मिलने के उपरान्त जिला कारागार, सुलतानपुर में दाखिल हुए तथा मा0 न्यायालय, स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट, न्याय कक्ष संख्या-09, सुलतानपुर द्वारा पारित रिहाई आदेश के अनुपालन में दिनांक 07-11-2013 को रिहा किये गये हैं, परन्तु बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर पर अन्य केस लम्बित होने के कारण वह रिहा नहीं किया गया। बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर, मा0 न्यायालय, विशेष जज, गैगेंस्टर एक्ट, सुलतानपुर के रिहाई आदेश के अनुपालन में, अन्य कोई केस लम्बित न होने के कारण दिनांक 24-05-2014 को अंतिम रूप से कारागार से रिहा किया गया है। बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर पुत्र श्री रामअंजोर को मा0 न्यायालय, ई0सी0 एक्ट, न्याय कक्ष संख्या-09, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 11-12-2015 के अनुपालन में पुन: कारागार में दाखिल किया गया तथा सजा पूर्ण कर लेने पर दिनांक 19-08-2017 को जिला कारागार, सुलतानपुर से रिहा किया गया है। बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर पुत्र श्री रामअंजोर, जिला कारागार, सुलतानपुर से अन्य किसी कारागार पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर से न तो कोई आदेश और न ही श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, एडवोकेट का कोई प्रार्थना पत्र जिला कारागार, सुलतानपुर को प्राप्त हुआ। जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध रहे बंदी कृष्ण कुमार उर्फ गब्बर की गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, उसे अन्य बंदियों की तरह जेल मैनुअल के अंतर्गत नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। जेल अधीक्षक द्वारा जेल मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य किया गया है। सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत तत्कालीन अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-1240/22-1-2017-3/2017, दिनांक 23-06-2017 द्वारा जिला कारागार, रायबरेली के लिए किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत याची को किसी प्रकार का मुआवजा दिये जाने अथवा अन्य किसी कथित हानि की प्रतिपूर्ति किये जाने का कोई औचित्य एवं अवसर नहीं है। तदनुसार प्रकरण को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- इस प्रकार रिट याचिका संख्या-2966/2017-जगदम्बा प्रसाद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2017 के अनुपालन में याची श्री जगदम्बा प्रसाद, एडवोकेट के प्रत्यावेदन दिनांक 17-01-2017 एवं महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की आख्या एवं प्रकरण से सम्बन्धित उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए एतदद्वारा द्वारा निस्तारित किया जाता है।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-59/2017/2583जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर एवं अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

5- याची श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, एडवोकेट, चैम्बर नं0-8-बी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

6- गार्ड फाइल।

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।